वित्तीय स्वीकृति / आयोजनेत्तर

संख्या 301 / XVII–3 / 08–7(11) 2008

प्रेषक,

विनीता कुमार
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण विभाग,
हल्द्वानी–नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग–3 देहरादून: दिनांक : 06 जून 2008

विषय :चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 के आय–व्ययक में समाज कल्याण विभाग से संबंधित अनुदान संख्या–15 के आयोजनेत्तर पक्ष के "अल्पसंख्यक आयोग अधिष्ठान' मद में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या:267 / XXVII(1)/2008, दिनांक 27 मार्च 2008 के अनुपालन में समाज कल्याण, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या: 215 / XXVII(1)/2008, दिनांक 24 मार्च 2008 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–15 के आयोजनेत्तर पक्ष में अल्पसंख्यक आयोग का अधिष्ठान हेतु प्राविधनित बजट के सापेक्ष कुल रू0. 53,70,00.00(रूपया तिरेपन लाख सत्तर हजार) मात्र की धनराशि निर्गत की गयी है। अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस मद में प्राविधानित बजट के सापेक्ष बचनबद्ध मदों में रू0.1,59,000.00(रूपया एक लाख उन्सठ हजार मात्र) की धनराशि को चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 के आय–व्ययक में समाज कल्याण विभाग से संबंधित अनुदान संख्या–15 के "आयोजनेत्तर पक्ष" में अल्पसंख्यक का आयोग का अधिष्ठान हेतु संलग्नक–एक के अनुसार निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:–

1. ~~अनुदान~~ के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग (त्रैमास के आधार पर) अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए, जिससे राज्य स्तर पर कैशफ्लों निर्धारित किये जाने में किसी प्रकार की कठिनाई न उत्पन्न हो।

2. आय–व्ययक द्वारा व्यवस्थित उक्त धनराशि में से केवल स्वीकृत चालू योजनाओं पर ही व्यय किया जाएं, और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नये कार्यो के कार्यान्वयन के लिए नहीं किया जाए। अवचनबद्ध मदों में व्यय करने से पूर्व शासन की स्वीकृति प्राप्त की जाए।

3. उक्त आवंटित धनराशि किसी ऐसी मद पर व्यय करने से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाए।

4. किसी भी शासकीय व्यय हेतु भण्डार क्रय प्रक्रिया(स्टोर पर्चेज रूल्स) वित्त नियम संग्रह खण्ड–1(वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1(लेखा नियम) के आय–व्ययक संबंधी नियम(बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

5. यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लिया जाए कि आवश्यकतानुसार आवंटित धनराशि के प्रत्येक बिल में चाहें वो वेतन आदि के सम्बन्ध में हो अथवा आकस्मिक व्यय के सम्बन्ध में सम्पूर्ण मुख्य/लघु/उप तथा विस्तृत शीर्षक को अंकित किया जाए और प्रत्येक बिल में दाहिनी और लाल स्याही से अनुदान संख्या–15 तथा आयोजनेत्तर शब्द स्पष्ट लिखा जाए, अन्यथा महालेखाकार कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा होगी।

6. संलग्नक में वर्णित धनराशियों का समय से उपयोग करने के लिए यह भी सुनिश्चित कर लें कि धनराशि परिधिगत अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाए, आहरण वितरण अधिकारियों को अवमुक्त धनराशियों का विवरण बी0एम0–17 पर निर्धारित समयान्तर्गत शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

7. मितव्ययता के सम्बन्ध में नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। मितव्ययिता/अबचनबद्ध की मदों में व्यय करने से पूर्व वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करना सुनिश्चित कर लिया जाय।

8. यदि किसी अधिष्ठान/योजनाओं के अन्तर्गत अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता हो तो अतिरिक्त धनराशि की मांग का औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

9. अप्रयुक्त धनराशि वित्तीय हस्तपुस्तिका के प्राविधानों के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

10. उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन अपने एवं अधीनस्थ स्तरों पर भी सुनिश्चित करें तथा बी0एम0–13 पर संकलित मासिक सूचनाएं नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

11. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 के आय–व्यय की अनुदान संख्या–15 के आयोजनेत्तर पक्ष में संलग्न तालिका में उल्लिखित लेखाशीर्षकों की सुसंगत प्राथमिक ईकाईयों के नामे डाला जायेगा।

12. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या:267/xxvii(1)/2008 दिनांक 27 मार्च 2008, शासनादेश संख्याः 326/xxvii(1)/2008 दिनांक 23 अप्रैल 2008 तथा शासनादेश संख्या:346/xxvii(1)/2008 दिनांक 30 अप्रैल 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नः–यथोपरि।

भवदीय,

(विनीता कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या 201/XVII–3/08–7(11) 2007, तद्दिनांक :

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाऊं, उत्तराखण्ड ।
5. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. चीफ पोस्ट मास्टर जनरल उत्तराखण्ड देहरादून।
7. जिलाधिकारी, देहरादून/नैनीताल।
8. कोषाधिकारी, हल्द्वानी(नैनीताल),/देहरादून, उत्तराखण्ड।
9. जिला समाज कल्याण अधिकारी, देहरादून उत्तराखण्ड।
10. सचिव उत्तराखण्ड, अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून।
11. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–03, उत्तराखण्ड शासन।
12. बजट, राजकोषीय नियोजन व संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
14. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
15. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(धीरेन्द्र सिंह दताल)
उप सचिव।